

समाहरणालय, लातेहार


(आपूर्ति शाखा)

अल्पकालीन पूर्णनिविदा सूचना

लातेहार जिलान्तर्गत जनवितरण प्रणाली के दुकानों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित लाभुक /लाभुक परिवारों की सूची फ्लैक्स बैनर बनाकर संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानों में प्रदर्शित की जानी है। इच्छुक निबंधित प्रिंटिंग प्रेस के प्रोपराईटर से दिनांक 15.02.2017 के अपराह्न 02:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है एवं 16.02.2017 तिथि को 11:30 बजे पूर्वाह्न में उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग लेंगे:-

निविदा की शर्तें

2. निविदादाता को निविदा के साथ 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) की प्रतिभूति की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पदनाम से हो, जमा करना होगा।
3. निविदादाता को झारखण्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को आयकर (विगत तीन वर्षों का ऑडीट रिपोर्ट सी0ए0 द्वारा निर्गत) एवं विक्रीकर का अध्यतन स्वच्छता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि तकनीकी विड के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. (फ्लैक्स के अनुभव अन्य जिलों के आपूर्ति) निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. फ्लैक्स बैनर 10'x8' एवं 10'x6' आकार का होगा जिसका वित्तीय विड में दर अलग- अलग अंकित करना होगा।
7. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं होगा।
8. आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रकार का कर अलग से देय नहीं होगा।
9. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने या निविदा की तिथि आगे बढ़ाने का अधिकार उपायुक्त, लातेहार के पास सुरक्षित रहेगा, जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती है।
10. निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात् स्वीकृत निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाता को प्रतिभूति की राशि के रूप में जमा की गई बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा।
11. फ्लैक्स बैनर का एक ही दर एवं नमूना देना होगा, एक से अधिक दर या नमूना होने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी। निविदा खुलने के समय प्रत्येक सामग्री का एक ही नमूना क्रय समिति की मांग पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. तकनीकी वीड एवं वित्तीय विड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में देना आवश्यक होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से तकनीकी वीड / वित्तीय विड अंकित रहनी चाहिए।
13. फ्लैक्स बैनर की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर छपाई कर उपलब्ध नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।


05/2/17
उपायुक्त,
लातेहार।